विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
*4 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जालौन (उरई) के तुलसीनगर की संक्रमणीय भूमि गाटा सं0-595, 556/1 व 596 इन्दिरानगर नियर न्यू मार्डन ऐकेडमी स्कूल (अजनारी फाटक के पास), पर किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य विधान परिषद् का पत्रांक 171 दिनांक 23.05.2022 का पत्र जिलाधिकारी, जालौन (उरई) को प्राप्त हुआ है?	जी नहीं, परन्तु प्रकरण के संबंध में डॉ0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा नियम-115 के अन्तर्गत दिनांक 27.05.2022 को दिया गया पत्र जिलाधिकारी जालौन को प्राप्त हुआ है।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र में मुख्य वर्णित बिन्दु क्या थे?	डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद के उपर्युक्त पत्र दिनांक 27.05.2022 में यह उल्लिखित है कि जनपद (उरई) जालौन में स्थित संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-595, 556/1, 596 इन्दिरानगर नियर न्यू मार्डर्न ऐकेडमी स्कूल (अजनारी फाटक के समीप) के दो मालिकान थे, जिसमें से एक मालिकान अपने हिस्से की 1/2 भाग का विक्रय कर चुका है, शेष 1/2 भाग भूमि मालिकान विधवा, असहाय गरीब महिला के नाम दर्ज है। भू-माफियाओं द्वारा विधवा महिला के 1/2 भाग पर अवैध कब्जा कर लिया गया। मा0 सदस्य द्वारा विधवा, असहाय गरीब महिला की संक्रमणीय भूमि को किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब्जा दिलाये जाने की अपेक्षा की गयी है।
(ग) क्या उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर निराश्रित को भूमि का कब्जा दे दिया गया?	प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी उरई से जॉच करायी गयी। जॉच आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि गैर कृषि प्रयोज्य हेतु दिनांक 16.01.2004 को घोषित की जा चुकी है। प्रश्नगत भूमि पर पुरानी आबादी बनी हुयी है। निवासियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भूमि क्रय की गयी है। इन खसरा नम्बरों पर कोई भूमि रिक्त नहीं है। शहरी आबादी की भूमि होने के कारण पैमाईस एवं कब्जा दिलाया जाना सम्भव नहीं है। खातेदार कब्जे के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष

	प्राप्त कर सकते हैं।
(घ) यदि हॉ, तो किस तिथि को?	उपर्युक्तानुसार।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।

विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
*4 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जालौन (उरई) के तुलसीनगर की संक्रमणीय भूमि गाटा सं0-595, 556/1 व 596 इन्दिरानगर नियर न्यू मार्डन ऐकेडमी स्कूल (अजनारी फाटक के पास), पर किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य विधान परिषद् का पत्रांक 171 दिनांक 23.05.2022 का पत्र जिलाधिकारी, जालौन (उरई) को प्राप्त हुआ है?	जी नहीं, परन्तु प्रकरण के संबंध में डॉ0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा नियम-115 के अन्तर्गत दिनांक 27.05.2022 को दिया गया पत्र जिलाधिकारी जालौन को प्राप्त हुआ है।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र में मुख्य वर्णित बिन्दु क्या थे?	डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद के उपर्युक्त पत्र दिनांक 27.05.2022 में यह उल्लिखित है कि जनपद (उरई) जालौन में स्थित संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-595, 556/1, 596 इन्दिरानगर नियर न्यू मार्डर्न ऐकेडमी स्कूल (अजनारी फाटक के समीप) के दो मालिकान थे, जिसमें से एक मालिकान अपने हिस्से की 1/2 भाग का विक्रय कर चुका है, शेष 1/2 भाग भूमि मालिकान विधवा, असहाय गरीब महिला के नाम दर्ज है। भू-माफियाओं द्वारा विधवा महिला के 1/2 भाग पर अवैध कब्जा कर लिया गया। मा0 सदस्य द्वारा विधवा, असहाय गरीब महिला की संक्रमणीय भूमि को किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब्जा दिलाये जाने की अपेक्षा की गयी है।
(ग) क्या उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर निराश्रित को भूमि का कब्जा दे दिया गया?	प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी उरई से जॉच करायी गयी। जॉच आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि गैर कृषि प्रयोज्य हेतु दिनांक 16.01.2004 को घोषित की जा चुकी है। प्रश्नगत भूमि पर पुरानी आबादी बनी हुयी है। निवासियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भूमि क्रय की गयी है। इन खसरा नम्बरों पर कोई भूमि रिक्त नहीं है। शहरी आबादी की भूमि होने के कारण पैमाईस एवं कब्जा दिलाया जाना सम्भव नहीं है। खातेदार कब्जे के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष

	प्राप्त कर सकते हैं।
(घ) यदि हॉ, तो किस तिथि को?	उपर्युक्तानुसार।
(ड) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।